राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 486/2024

विजय लक्ष्मी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, बीकानेर।
4. श्याम सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, पर्यटन उपवन संरक्षक वन्य जीव, चित्तौड़गढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनपाल के पद पर वर्ष 2011 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी–II के पद पर पदोन्नति देते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन इकाई–I मुख्यालय 682, आर.डी. मुख्य नहर कार्यालय उपवन संरक्षक ई.गा.न.प., स्टेज–II, बीकानेर में पदस्थापन किया गया। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण इकाई–I मुख्यालय 682, आर.डी. मुख्य नहर कार्यालय उपवन संरक्षक ई.गा. न.प., स्टेज–II, बीकानेर से विधि, कार्यालय, उप वन संरक्षक, सीकर में किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण/पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 5 माह की अल्पावधि में अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए राजस्थान

राज्य वन सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों व कार्मिकों के संबंध में जारी स्थानान्तरण नीति के आदेश दिनांक 20.04.2011 के नियम–1.1 में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत् निर्धारित विशेष परस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उक्त नियमों का उल्लंघन किया जाकर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में दिनांक 13.01.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु संख्या 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है तथा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1141/2023 रघुनाथराम बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 एवं अपील संख्या 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के द्वारा अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलार्थी का भी आलौच्य आदेश के द्वारा 5 माह की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है। जो समान तथ्यों पर आधारित है एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 यह निर्धारित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश नजरअंदाज करने के लिए नहीं है। उसके आदेशों के अनुसार ही विभाग को स्थानान्तरण करने चाहिए (अनुलग्नक–9 से 11)। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरण में दायर अपीलों में दिये गये निर्णयों का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी–II के पद पर इकाई–I मुख्यालय 682, आर.डी. मुख्य नहर कार्यालय उपवन संरक्षक ई.गा.न.प., स्टेज–II, बीकानेर में ही पदस्थापित रखने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण इकाई–I मुख्यालय 682, आर.डी. मुख्य नहर कार्यालय उपवन संरक्षक ई.गा. न.प., स्टेज–II, बीकानेर से विधि, कार्यालय, उप वन संरक्षक, सीकर में प्रशासनिक दृष्टि से सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करके किया गया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण/पदस्थापन वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी–II के पद पर पदोन्नत होने पर अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से मात्र 5 माह की अल्प समयावधि में किया गया है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया और हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

6. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
8. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)